


कृषि अनुसंधान उप केन्द्र (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)  
समदड़ी- बाड़मेर, राजस्थान-344021  
AGRICULTURAL RESEARCH SUB STATION( Agriculture University, Jodhpur)  
Samdari- Barmer, Rajasthan- 344021  
Email: arsssamdari@gmail.com

क्र.()/कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/66

दिनांक:- 09.05.2019

## खुली निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर के द्वारा कृषको के लिये विभिन्न प्रशिक्षण/ भ्रमण आदि कार्यक्रम बाड़मेर जिले, राजस्थान राज्य एवं राज्य के बाहर आयोजित किये जाने है इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अल्पाहार एवं भोजन की आपूर्ति हेतु मुहरबन्द निविदा (अनुमानित लागत रुपये 5,00,000/- अक्षरे रुपये पाँच लाख मात्र) आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति उक्त कार्य के लिए निविदा प्रपत्र शुल्क रु 500/- (अक्षरे रु. पाँच सौ मात्र) नकद जमा कर दिनांक 27.05.2019 वार सोमवार को सुबह 11.00 बजे तक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र समदड़ी बाड़मेर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय धरोहर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम से देय हो, दिनांक 27.05.2019 वार सोमवार को दोपहर 12.15 बजे तक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र समदड़ी बाड़मेर के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। निविदा उसी दिन 27.05.2019 वार सोमवार को दोपहर 1:00 बजे के बाद खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र व शर्तें राजस्थान राज्य लोक उपापन की वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> व कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट [www.aujodhpur.ac.in](http://www.aujodhpur.ac.in) पर देखी जा सकती हैं। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/संशोधित/निरस्त आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

  
प्रभारी अधिकारी




## कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

प्रशिक्षण/ भ्रमण व अन्य कार्यकर्मों में अल्पाहार एवं भोजन की आपूर्ति करने हेतु निविदा (वर्ष 2019-20)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2019-20 / सं. 03
निविदा क्रम संख्या	क्रमांक:एफ()/कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/66 दिनांक:-09.05.2019 (SUBN JAUI920WSOB00014)
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / -रुपये रसीद संख्या:.....दिनांक:-.....
निविदा वर्ष	2019-20
अल्पाहार एवं भोजन की आपूर्ति करने की अनुमानित अवधि	जून 2019 से मार्च 2020
अनुमानित लागत	रु. 500000 / -
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	10.05.2019 से 27.05.2019 सुबह 11.00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	27.05.2019 दोपहर 12.15 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	27.05.2019 दोपहर 01.00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
पत्राचार हेतु पता	प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) (राज.) 344021

नोट:- धरोहर राशि कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर में किसी भी कार्य दिवस में जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 27.05.2019 दोपहर 12.15 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा जो कि ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हों, जमा करायी जा सकती हैं।

संलग्न:-निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें-

  
प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

निविदा प्रपत्र

(प्रशिक्षण/ भ्रमण व अन्य कार्यकर्मों में अल्पाहार एवं भोजन की आपूर्ति करने हेतु)

निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500 /- (अक्षरे रू. पाँच सौ मात्र ) रसीद संख्या ..... दिनांक .....  
निविदा सूचना क्रमांक एफ./कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/66 दिनांक 09.05.2019 के तहत  
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/ भ्रमण व  
अन्य कार्यकर्मों में अल्पाहार एवं भोजन की आपूर्ति करने की निविदा प्रपत्र धरोहर राशि रू 10000 /-  
(अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स संख्या ..... दिनांक .....  
निविदादाता का नाम व पूरा पता .....

दूरभाष नंबर यदि हो : ..... मो. नंबर .....

क्र. सं.	अल्पाहार एवं भोजन का विवरण	दर प्रति व्यक्ति रुपयों में (समस्त प्रकार के कर सहित)		
		बाड़मेर जिले में कहीं भी	समस्त राजस्थान में कहीं भी	राजस्थान के बाहर (अन्य राज्य में)
1.	चाय 150 ml			
2.	चाय (150 ml) बिस्किट के साथ			
3.	चाय (150 ml) कचोरी-1 (70-80 ग्राम)/ समोसा-1 (80-100 ग्राम)/ पोहा-100 ग्राम			
4.	चाय (150 ml) कचोरी-1 (70-80 ग्राम)/ समोसा-1 (80-100 ग्राम)/ पोहा-100 ग्राम, मिठाई (75 ग्राम)			
5.	सामान्य भोजन- पुड़ी, सब्जी, आम का अचार भरपेट			
6.	भोजन नं. 1 दाल, बाटी चूरमा (देशी घी में ) व सलाद <b>अथवा</b> रोटी/पुड़ी, चावल, सब्जी-2, रायता, सलाद व मिठाई			
7.	भोजन नं. 2 रोटी/पुड़ी, चावल, हरी सब्जी, दाल, पनीर की सब्जी, सलाद, आइसक्रीम/ मिठाई, अचार, पापड़, छाछ (200 ml)			

*P. Dewgahn*

हस्ताक्षर निविदादाता (ठेकेदार)

**कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर**  
**कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर**

सूचना क्र./कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/66


दिनांक:- 09.05.2019

**प्रशिक्षण/भ्रमण व अन्य कार्यकर्मों में अल्पाहार एवं भोजन आपूर्ति करने हेतु निविदा की शर्तें**

1. मुहरबन्द निविदा प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र समदड़ी बाड़मेर के नाम से देय होनी चाहिए।
2. निविदा मुहरबन्द लिफाफे में भौतिक रूप में भी जमा करवानी है जिसके लिफाफे पर प्रशिक्षण/भ्रमण व अन्य कार्यकर्मों में अल्पाहार एवं भोजन की आपूर्ति करने हेतु निविदा तथा दिनांक 09.05.2019 लिखा होना चाहिए।
3. प्रत्येक कार्य की निविदा दर स्पष्ट रूप से अंको व शब्दों में लिखी होनी चाहिए।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. निविदा निविदा शर्तों का अध्ययन करने के पश्चात ही प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
6. निविदा दरें निविदा अनुमोदन के पश्चात 12 महीने के लिये मान्य होगी। आपसी सहमति से यह समयावधि बढ़ाई जा सकती है।
7. निविदा के साथ रु 10000/- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) धरोहर राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के साथ जो की ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हो, व निविदा प्रपत्र शुल्क रु 500/- (अक्षरे रु पाँच सौ मात्र) नकद जमा कर प्रस्तुत करें। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा धरोहर राशि के रूप में बैंक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. निविदा दिनांक 27.05.2019 को 01:00 बजे बाद खोली जायेगी। यदि किसी कारण वश उस दिन का अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृति/ अस्वीकृति/ स्थगित/ निरस्त आदि करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं प्रभारी अधिकारी के निर्णय सर्वमान्य होंगे।
10. प्रशिक्षण/भ्रमण व अन्य कार्यकर्मों में अल्पाहार एवं भोजन की आपूर्ति प्रभारी अधिकारी/ नियुक्त कर्मचारी की निगरानी में उनके निर्देश के अनुसार पूरा करना होगा।
11. अल्पाहार एवं भोजन के लिए जरूरी साधन सामग्री: स्वयं के लाने होंगे। अल्पाहार एवं भोजन बनाने के लिये कारीगरों को लाने एवं ले जाने के लिये कोई भी साधन अनुसंधान केन्द्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
12. कार्यकर्मों की प्रकृति एवं मांग के अनुसार अल्पाहार एवं भोजन उपलब्ध करवाने होंगे। ठेकेदार को समय-समय पर अग्रिम रूप से सूचित किया जाता रहेगा। ठेकेदार को उसी अनुसार निर्धारित समय पर, मात्रा में व ताजा अल्पाहार एवं भोजन उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा, किसी भी प्रकार के विलम्ब व कमी को अनुसंधान उप केन्द्र का नुकसान माना जायेगा जो कि धरोहर राशि के बराबर अथवा कमेटी जो निर्धारित करेगी, उसी के अनुसार नुकसान कि भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
13. ठेकेदार के कारीगरों/श्रमिकों द्वारा यदि कार्यालय की संपत्ति, फार्म कि फसलों अथवा संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भुगताना पड़ेगा अथवा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि अथवा देय भुगतान में से काट लिया जायेगा।

*Handwritten signature*

14. भुगतान केवल आपूर्ति किये गये अल्पाहार एवं भोजन कि मात्रा के अनुसार ही किया जायेगा तथा ठेकेदार को अग्रिम तौर पर धन, सामान अथवा किसी प्रकार कि सेवा प्रदान नहीं कि जायेगी।
15. सफल निविदादाता के अतिरिक्त सभी कि धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के पश्चात सात दिन के अन्दर - अन्दर लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
16. सफल निविदादाता यदि ठेका बीच में छोड़ देता है तो उसकी धरोहर राशि व आपूर्ति किये गये अल्पाहार एवं भोजन के बकाया भुगतान जब्त करके ब्लेक - लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।
17. कार्यालय द्वारा स्वीकृति दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा स्रोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी, अन्य कर देय हो तो नियमानुसार कटोती निविदादाता से कि जायेगी।
18. अनुबन्धकर्ता को नॉन - ज्यूडिसियल स्टाम्प रुपये 500 या हाल ही घोषित सरकारी दर पर इकरारनामा (अनुबन्ध) प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबन्धित वार्षिक राशि कि 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति (Security) के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करवानी होगी।
19. अल्पाहार एवं भोजन संतोषजनक नहीं होने पर स्वीकृति अनुबन्ध निरस्त कर नई निविदा आमंत्रित कर ली जावेगी। स्वीकृति दर से अधिक दर पर भुगतान करने पर अनुमोदित अनुबन्धकर्ता से अधिक भुगतान कि गई राशि वसूल की जाएगी।
20. अशिष्ट व्यवहार करने व अल्पाहार एवं भोजन संतोषजनक नहीं होने पर कारीगर को हटा दिया जायेगा। कारीगरों/श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसके लिये संबन्धित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा अनुसंधान केन्द्र किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में अनुसंधान केन्द्र के विरुद्ध की गई सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।
21. अनुबन्ध अवधि में किसी कारीगरों/श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) की होगी। ऐसी स्थिति में अनुसंधान उप केन्द्र की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में अनुसंधान उप केन्द्र प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी।
22. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले कारीगरों/श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता (ठेकेदार) उत्तरदायी रहेगा।
23. राजस्थान Transparency in public procurement rule 2013 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।
24. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु अनुसंधान उप केंद्र का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं ठेकेदार उसके लिए बाध्य होगा।
25. निविदादाता/ फर्म/ एजेंसी के पास आयकर विभाग द्वारा निर्गत वैध पैन नं (PAN No.)/सेवाकर नम्बर इत्यादि व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के दिशा निर्देशित प्रमाण पत्र जो ऐसे निविदादाता के लिए आवश्यक हो, होने चाहिए।

  
प्रभारी अधिकारी

मुझे ( निविदादाता )समस्त उपरोक्त शर्तें मंजूर है एवं मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता (ठेकेदार)